

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक—494/वि.ले./25(फा.161)

उज्जैन, दिनांक 27 जून, 2025

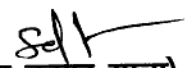
जिला मुख्यालय, उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में पदस्थ प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक द्वारा न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण होने के उपरांत अभिलेख/प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा कराते समय प्रकरणों पर प्रकरण क्रमांक, वर्ष, निर्णय दिनांक, सी.एन.आर. नम्बर, टाईटल पेज पर और प्रत्येक पार्ट के कव्हर पेज एवं प्रत्येक पार्ट के इण्डेक्स सूची में सही ढंग से विवरण लेख न करते हुए अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण विवरण लेख किये जा रहे हैं, जिसके कारण प्रकरणों के विनिष्टिकरण व अन्य कार्यवाही में अत्यंत कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः प्रकरणों का निराकरण होने के उपरांत अभिलेख/प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा कराते समय उपरोक्तानुसार प्रकरणों के प्रत्येक पार्ट के कव्हर पेज पर एवं प्रत्येक पार्ट के इण्डेक्स सूची में सही ढंग से पूर्ण व त्रुटिरहित विवरण अंकित किये जाने के उपरांत ही अभिलेख/प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा किया जाना सुनिश्चित करें ताकि निराकृत प्रकरणों के विनिष्टिकरण अथवा अन्य कोई आगामी कार्यवाही सुगमता से की जा सके।

साथ ही यदि किसी प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक द्वारा मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक एवं सिविल) के आलोक में अभिलेखागार में अभिलेख जमा न करते हुए प्रकरणों पर त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण जानकारी अंकित कर जमा किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार अभिलेखागार अनुविभाग में पदस्थ अभिलेखपाल व समस्त सहायक अभिलेखपाल द्वारा अपूर्ण विवरण/जानकारी के अंकित अभिलेख जमा किये जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश का कड़ाई से तत्काल पालन करना सुनिश्चित करें।


(राजेश कुमार गुप्ता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

6548

पृष्ठांकन क्रमांक—...../वि.ले./25(फा.161)

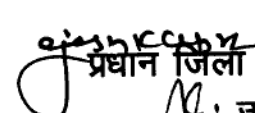
उज्जैन, दिनांक जून, 2025

27 JUN 2025

प्रतिलिपि —

1. समस्त न्यायाधीशगण, जिला मुख्यालय, उज्जैन एवं तहसील बड़नगर/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/तराना की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह परिपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन संबंधित प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुविभाग, उज्जैन/बड़नगर/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/तराना की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह परिपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन संबंधित अभिलेखपाल/सहायक अभिलेखपाल से करवाया जाना सुनिश्चित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)